Website: www.alldstateuniversity.org

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या)विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

Pro. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

पत्रांकः पी.आर.एस.यू. / छात्र0–156 / 2019 दिनांकः 31.08.2019

सेवा में,

समस्त प्रबंधक / प्राचार्य
सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उ0प्र0

विषयः शैक्षिक सत्र 2019–20 में समस्त वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति / दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नये / नवीनीकरण के छात्र / छात्राओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने के सम्बंध में।

महोदय / महोदया

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 04.06.2019 के क्रम में निर्देशित किया गया था कि पूर्वदशम् छात्रवृत्ति / दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के समस्त छात्र / छात्राओं के द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों को तत्काल शिक्षण शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित कर दिया जाए, ताकि उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिनांक 01. 10.2019 तक प्रेषित की जा सके। छात्रवृत्ति की बेवसाईट पर प्रदर्शित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 28.08.2019 तक नये एवं नवीनीकरण के बहुत कम छात्र / छात्राओं के आवेदन पत्रों को आप द्वारा अग्रसारित किया गया है, जो कि आपकी उदासीनता का द्योतक है, जिस पर मण्डलायुक्त महोदय द्वारा गहरी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए पुनः निर्देशित किया गया है कि जिन छात्र / छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भर दिया गया है, उसे अपने शिक्षण संस्थान में जमा कराकर उनको शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत / अस्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण की जाए तथा किसी भी दशा में संस्था पर अग्रसारण हेतु कोई भी आवेदन पत्र लम्बित न रखा जाए।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2019–20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति / दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र / छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु भरे गये आवेदन पत्रों को शासन द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 03.09.2019 तक अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन द्वारा निर्गत समय–सारिणी के अनुसार धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इस संदर्भ में कोई कोताही बरतने पर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।

(श्रीमती दीप्ति मिश्रा)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपिः

01 श्रीमान मंडलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज
02 श्रीमान जिलाधिकारी, प्रयागराज
03 श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज,
04 उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज
05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज
06 एजेन्सी प्रभारी, इस आशय के साथ की वेबसाईट पर अपलोड करें।

उपकुलसचिव